कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा

(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)

अति अल्पकालीन निविदा (Very Short Term Tender)

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–(N)714 दिनांक–25.06.2021 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत **"बिरसा हरित ग्राम योजना"** के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में गढवा जिला के 20 प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में योजना स्थल पर बागवानी के लिए गुणवत्तापूर्ण Grafted/Layered आम, अमरूद एवं नींबू के पौधा आपूर्ति करने हेतु राज्य स्तर से 14 पौधशालाओं (Nursery) को सूचीबद्ध (Empanelled) किया गया है। अतः गढ़वा जिला में पौधा आपूर्ति करने के लिए सूचीबद्ध 14 आपूर्तिकत्ताओं से पौधा क्रय करने के लिए न्यूनतम क्रय दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रण हेतु सूचीबद्ध नर्सरियों की विवरणी निम्नवत है :– 1) आदित्या हाईटेक नर्सरी, कुडू, लोहरदगा, 2) फल उद्योग नर्सरी, महिलांग, राँची, 3) प्रकाश सीड्स एण्ड नर्सरी, बिरसा बस स्टैण्ड, लोहरदगा, राँची, 4) ग्रीन गार्डन इन्टरप्राईजेज, ओरमांझी, राँची, 5) असीमा नर्सरी, विशुनपुर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल, 6) जनप्रिय नर्सरी, ओरमांझी, राँची, 7) बानाश्री नर्सरी, ओरमांझी, राँची, 8) वृन्दावन नर्सरी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची, 9) नारायण होर्टिकल्चर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल, 10) राजमहल नर्सरी, साहेबगंज, झारखण्ड, 11) श्री कान्ता नर्सरी, मध्य चुटिया, राँची, 12) नेशनल नर्सरी एण्ड एग्रीकल्चर फार्म, 24 परगना, पश्चिम बंगाल, 13) ओम नर्सरी एवं हॉर्टिकल्चर फार्म, 24 परगना, पश्चिम बंगाल एवं 14) घोष नर्सरी, हरमू रोड, राँची। इसके अतिरिक्त अन्य पौधशालाओं (Nursery) की समर्पित निविदा अमान्य होगी।

कार्यालय ज्ञापांक 401 दिनांक 07.07.2021 से प्रकाशित पौधा आपूर्ति निविदा का निस्तारण निर्धारित तिथि 16.07.2021 को किया गया। जिसमे केवल आम पौधा का दर निर्धारण किया जा सका है। शेष पौधा यथा– निंबू एवं अमरूद पौधा का दर निर्धारण निविदादाता पास स्टॉक नही रहने कारण नही किया जा सका है।

अतः उपरोक्त सूचीबद्ध पौधशालाओं (Nursery) के इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता **दिनांक–26.07.2021 तक अपराहन–01:00 बजे** कार्यालय अवधि में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा में निविदा समर्पित कर सकते है। समर्पित निविदा **दिनांक–26.07.2021 को अपराहन–03:00 बजे** जिला तकनीकी समिति एवं निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। निविदा का नियम एवं शर्त्त की विस्तृत विवरणी गढ़वा की वेबसाईट–garhwa.nic.in पर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के सूचना पट्ट से देखा जा सकता है।

मनरेगा अन्तर्गत **"बिरसा हरित ग्राम योजना"** के तहत बागवानी के लिए पौधा के आपूर्त्ति हेतु आवेदक द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी के मांग के आधार पर निम्नलिखित शर्त्तों के अनुरूप पौधा की आपूर्त्ति करनी होगी :–

पौधा आपूर्ति के लिये शर्त :–

(A) अमरूद पौधा (Grafted/Layered)

1. पौधा अलाहाबाद सफेदा, अल्का मृदूला व लखनऊ–49 (L-49) प्रजाति का ही हो।
2. पौधा कलमी या Air Layering होना चाहिए।
3. पौधों का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कलम या Air Layering के बाद कम–से–कम 2–3 बार स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों की उम्र कम से कम 1 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधे का थैला काला पॉलीथीन का हो व थैला (Black Ploythene Bag) का आकार 6"x7" से 9"x11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।

(B) नींबू पौधा (Grafted/Layered)

1. पौधा सिर्फ कागजी एवं साईं शर्वती प्रजाति का ही हो।
2. पौधा कलमी या Air Layered होना चाहिए।
3. पौधों की लम्बाई 2 फीट से अधिक व 4 फीट के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कम–से–कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों की उम्र कम से कम 1 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधों का थैला काला पॉलीथीन का हो व थैला (Black Ploythene Bag) का आकार 6"x7" से 9"x11" का होना चाहिए।

निविदा हेतु शर्त्त :–

- निविदादाता अपने निविदा में प्रत्येक प्रजाति के पौधों का नाम के साथ–साथ दर/मूल्य एवं जीएसटी स्पष्ट रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
- आपूर्तिकर्ता को अपने फर्म का GST निबंधन प्रमाण–पत्र एवं GST जमा करने का अद्यतन प्रमाण–पत्र समर्पित करेंगे।
- आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित प्रखण्ड के पंचायतों में अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसके लिए अन्य कोई भत्ता/परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- आपूर्तिकर्त्ता को अग्रधन के रूप में 5,000/– (पाँच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, गढ़वा के नाम से जमा करना होगा।
- निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्त्ता यदि समय सीमा के अन्दर पौधों की आपूर्ति नहीं करते है अथवा आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं, तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- निविदा में कार्य स्थल पर सामग्री आपूर्त्ति करने हेतु परिवहन, हथालन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- व्यक्तिगत व सामुदायिक लाभुकों की निजी जमीन में बागवानी योजनाओं में पक्की रसीद (Bill/Invoice) के साथ सम्बन्धित लाभुकों से संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त करके जमा करना होगा। बिना संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त किये संगठन/संस्था को राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- सशर्त्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
- वास्तविक आपूर्ति आदेश के आधार पर संबंधित पंचायत द्वारा बिल का भुगतान FTO के माध्यम से किया जायेगा।
- निविदा निस्तारण के समय दो–दो पौधे का नमूना साथ लाना अनिवार्य होगा।
- जिला तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।
- निविदा का पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने, रद्द करने अथवा कार्य आदेश का निविदाताओं के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

17/7/2021

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा।